प्रेस के लिए

वार्षिक बजट 2004-05

(1) बजट एक नजर में -

वर्ष 2004-05 में **संभावित कुल आय रूपये 9105.07 करोड़** जो कि वर्ष 2003-04 के पुनरीक्षित अनुमान 8484.82 करोड़ से 7.3 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2004-05 का **कुल व्यय रू. 9368.43 करोड़ अनुमानित है जो कि गतवर्ष (8482.06 करोड़) की तुलना में 10.5 प्रतिशत अधिक है**। इस वर्ष का **शुद्ध बजटीय घाटा 263.36 करोड़ अनुमानित है**। गतवर्ष के बजटीय घाटे 255.69 करोड़ को शामिल करते हुए कुल बजटीय घाटा 519.05 करोड़ अनुमानित है। इस वर्ष का **सकल वित्तीय घाटा 1979.41 करोड़ अनुमानित है जो कि गतवर्ष का घाटा 1942 करोड़ की तुलना में लगभग 2 प्रतिशत अधिक है**। इस घाटे की पूर्ति के लिए विभिन्न स्त्रोतों से 1451 करोड़ का ऋण लिया जाएगा। गतवर्ष 1670 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था।

(2) राजस्व प्राप्तियाँ -

कुल राजस्व प्राप्तियाँ रूपये **7365.44 करोड़** अनुमानित है जिसमें राज्य का स्वयं का राजस्व रूपये 4325.09 करोड़ तथा केन्द्र से प्राप्तियों के रूप में रूपये 3040.35 करोड़ प्राप्त होना अनुमानित है। गतवर्ष की तुलना में **राज्य के स्वयं के राजस्व में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि तथा केन्द्र से प्राप्त सहायता में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है**।

(3) आयोजना व्यय -

राज्य का कुल **आयोजना (Plan) व्यय रूपये 3714.67 करोड़ अनुमानित है** जो कि गतवर्ष (3294.37 करोड़) की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है एवं **कुल व्यय का 40 प्रतिशत है**। विगत तीन वर्षो में यह प्रावधान सर्वाधिक है। आयोजना व्यय में मुख्य रूप से **पूँजीगत व्यय में 1651 करोड़ रुपए का प्रावधान जो कि गतवर्ष (1257 करोड़ रुपए) की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है**। यह व्यय मुख्य रूप से विकासोन्मुखी योजनाओं के लिए सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में किया गया है।

(4) आयोजनेत्तर व्यय -

राज्य का कुल आयोजनेत्तर व्यय रूपये 5653.76 करोड़ अनुमानित है जो कि गतवर्ष की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत अधिक है। आयोजनेत्तर मद में मुख्य रूप से वेतन पर रूपये 1946.78 करोड़, पेंशन पर रूपये 451.18 करोड़ तथा ब्याज भुगतान पर रूपये 1067.81 करोड़ व्यय अनुमानित है। वेतन भत्तों पर होने वाला कुल व्यय राजस्व प्राप्तियों का

32 प्रतिशत तथा कुल व्यय का 25 प्रतिशत है। गत वर्ष यह प्रतिशत क्रमशः 31 और 24 था। इसमें वृद्धि का मुख्य कारण मंहगाई भत्ता में 6 प्रतिशत वृद्धि तथा विशेष भरती अभियान में हुई नियुक्ति से है।

(5) सीमित घाटा

आयोजना व्यय में 13 प्रतिशत की वृद्धि, पूंजीगत व्यय में 32 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद सकल वित्तीय घाटा में गत वर्ष की तुलना में मात्र 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं शुद्ध लोक ऋण में 13 प्रतिशत की कमी हुई है।

(6) संकल्प पत्र के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान :

- गरीब परिवारों को रियायती दर पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 7 करोड़ रूपये
- गरीब जरूरतमंद लोगों को 5 रूपये में पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्र हेतु 2 करोड़ रूपये।
- शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए 6 करोड़ रूपये।
- प्रदेश के प्रत्येक अनुसूचित जनजाति गरीब परिवारों को दुधारू गाय प्रदान हेतु 25 करोड़।
- बस्तर तथा सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण गठन हेतु 20 करोड़।
- लघु एवं सीमांत कृषकों को रियायती दर पर 5 हार्स पॉवर मोटर तथा विद्युत विहिन ग्रामों में 10 हार्स पॉवर तक जनरेटर खरीदी पर अनुदान हेतु 1 करोड़
- विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना हेतु 56 लाख रूपये।
- पाँच नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 5 करोड़ रूपये।
- बीज एवं कृषि विकास निगम की स्थापना हेतु 50 लाख रूपये।
- प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों के छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय हेतु 2.37 करोड़ रुपए
- अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु आश्रम शालाओं की स्थापना हेतु 1.7 करोड़ रुपए
- आयुर्वेदिक औषधालय शोध एवं अनुसंधान केन्द्र हेतु 1.31 करोड़ रुपए

(7) मुख्य क्षेत्रों में बजट प्रावधान

मुख्य क्षेत्रों में बजट *प्रावधान*
(आर्थिक क्षेत्र)

रू. करोड

	पुनरीक्षित अनुमान 2003-04	बजट अनुमान 2004-05	प्रतिशत वृद्धि / कमी
जल संसाधन	523.86	779.74	46.00
लोक निर्माण	663.43	731.64	11.00
ग्रामीण विकास	513.30	755.94	47.30
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	642.73	458.54	-29.50

मुख्य क्षेत्रो में बजट *प्रावधान*
(सामाजिक क्षेत्र)

रू. करोड

	पुनरीक्षित अनुमान 2003-04	बजट अनुमान 2004-05	प्रतिशत वृद्धि / कमी
शिक्षा	871.32	948.13	8.82
स्वास्थ्य	247.91	278.68	12.41
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	208.51	237.82	14.00
अ.जा.अ.ज.जा. कल्याण	764.40	848.06	10.94

* गत वर्ष फसल बीमा/बीमीत किसानों के लिए रु. 59 करोड़ का प्रावधान था।

(8) राज्य आयोजना – क्षेत्रवार प्रावधान

राज्य आयोजना – क्षेत्रवार प्रावधान

रू. करोड

	पुनरीक्षित अनुमान 2003-04	बजट अनुमान 2004-05	प्रतिशत वृद्धि / कमी
सामान्य आयोजना	1432.89	1855.15	29.50
अनुसूचित जनजाति उपयोजना	1026.37	1094.44	6.63
विशेष घटक योजना	207.75	345.40	66.30
कुल राज्य आयोजना	2667.02	3294.99	23.55

(9) <u>बजट 2004-05 की प्राथमिकताएं</u> –

सिंचाई

- 184 अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं – एक वृहत (जोंक), चार मध्यम (बरनई, मांड, अपर जोंक, खरखरा मोहदी पाट) तथा 179 लघु सिंचाई योजना पूर्ण होगी, जिससे 77260 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। गतवर्ष की तुलना में सिंचाई क्षमता में 8 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- 54 नई सिंचाई परियोजनाएं प्रारम्भ की जा रही है।
- फील्ड चेनल निर्माण हेतु रु. 31 करोड़ का प्रावधान है।

लोक निर्माण

- 125 निर्माणाधीन सड़क का कार्य पूर्ण किया जाएगा, जिससे प्रदेश में 6000 कि.मी. लंबाई की अतिरिक्त पक्की सड़क बनेगी।
- 349 नवीन सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण हेतु रु. 69 करोड़ का प्रावधान।

कृषि एवं पशु पालन

- 5 हार्सपॉवर के पंप के रियायती दर पर एवं विद्युतविहीन ग्रामों में लघु एवं सीमांत कृषकों को जनरेटर सेट हेतु 50 प्रतिशत अनुदान बाबत् रुपए 1 करोड़ का प्रावधान।
- किसानों को रियायती दर पर उन्नत बीज उपलब्ध कराने हेतु राज्य बीज एवं कृषि निगम की स्थापना हेतु रुपए 50 लाख।
- अनुसूचित जनजाति परिवारों को दुधारू गाय प्रदान करने हेतु रु. 25 करोड़ का प्रावधान है।

ग्रामीण विकास

- 40 विकास खंडो के 2000 गांवों में गरीबी उन्मूलन योजना हेतु रुपए 100 करोड़ तथा राजनांदगांव, कवर्धा, सरगुजा एवं जशपुर में समविकास योजना हेतु रुपए 90 करोड़ का प्रावधान।
- प्रदेश के सभी जिलों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए प्रावधान

उद्योग

- औद्योगिक विकास केन्द्र उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी में जल प्रदाय योजना के सुदृढ़ीकरण तथा सड़क निर्माण हेतु रु. 5 करोड़ का प्रावधान है।
- सरगुजा, कवर्धा, महासमुंद, धमतरी एवं रायगढ़ में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु रु. 5 करोड़ का प्रावधान।

शिक्षा

- 251 प्राथमिक शालाएं, हाई स्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल तथा 25 आश्रम शालाओं की स्थापना हेतु रु. 12.60 करोड़ का प्रावधान है।
- अ.ज.जा. छात्राओं को सायकिल प्रदान हेतु रु. 2.37 करोड़ का प्रावधान है।
- छात्र दुर्घटना बीमा योजना हेतु रु. 56 लाख का प्रावधान है।
- तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु रु. 12.29 करोड़ का प्रावधान

स्वास्थ्य

- सात जिला चिकित्सालयों की स्थापना (बिलासपुर, महासमुंद, धमतरी, कवर्धा, कोरिया, दंतेवाड़ा एवं कांकेर) हेतु **रु.** 15 करोड़ का प्रावधान
- चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर एवं रायगढ़ हेतु रु. 20.25 करोड़ का प्रावधान है।
- 874 उपस्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु रु. 2.2 करोड़ का प्रावधान है।
- दंत चिकित्सालय रायपुर में रु. 4.71 करोड़ का प्रावधान।
-

अनुसूचित जनजाति विकास

- बस्तर एवं सरगुजा-जशपुर के लिए विकास प्राधिकरण का गठन-इस हेतु रु. 20 करोड़ का प्रावधान
- गिरोदपुरी तथा सोनाखान के समन्वित विकास के लिए रुपए 10 करोड़

पेयजल

- रायपुर एवं भिलाई की पेयजल की सुदृढ़ीकरण हेतु रु. 6 करोड़ का प्रावधान है।

पर्यटन

- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में टूरिस्ट मोटल निर्माण हेतु रुपए 2 करोड़

महिला बाल विकास

- 500 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु रु. 7.50 करोड़ का प्रावधान

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- धान उपार्जन कर रही सहकारी समितियों को बोनस हेतु रु. 10 करोड़ का प्रावधान।
- दाल-भात अन्नपूर्णा योजना हेतु रु. 2 करोड़ का अनुदान।
- प्रदेश के 19 लाख गरीब परिवारों को 25 पैसे प्रति किलो की रियायती दर से आयोडीन नमक उपलब्ध कराने हेतु रुपए 7 करोड़

रोजगार

- बेरोजगारी भत्ता हेतु रु. 5.63 करोड़ का प्रावधान है।

(10) पूर्व में प्रचलित **''विधायक निधि''** की पुनःस्थापना

- प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र हेतु निर्धारित राशि 20 लाख रुपए को बढ़ाकर 30 लाख रुपए
- प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक के कार्य माननीय विधायकगण की अनुशंसा पर स्वीकृत किए जाएंगे एवं 10 लाख रुपए तक के कार्य जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा एवं प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन उपरान्त स्वीकृत किए जाएंगे।

(11) अतिरिक्त राजस्व संग्रहण हेतु उपाय

हमारी रणनीति निम्नानुसार है – कर दरों में **युक्तियुक्तिकरण** करना, कर **प्रक्रिया को सरल** बनाना , कर **प्रशासन** को चुस्त बनाना

आम उपभोक्ताओं को राहत पहुँचाने तथा कर की दरों में युक्तियुक्तकरण हेतु

- गुड़ पर प्रचलित 0.5 प्रतिशत **प्रवेश कर समाप्त** किया जायेगा ।
- नारियल तथा वनस्पति घी पर प्रचलित कर की दर **4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत** की जायेगी।
- किराना वस्तुओं की सूची में सूखा मेवा को शामिल किया जायेगा।
- रेडिमेड वस्त्र तथा होजयरी पर प्रचलित कर की दर **4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत** की जायेगी।

- 200 रुपए मूल्य तक के चश्मा को **वाणिज्यिक कर से मुक्त** किया जाएगा।
- **लघु वनोपज (तेंदू पत्ता को छोड़कर) की पृथक श्रेणी** बनाकर इस पर **कर की दर 4 प्रतिशत** रखी जायेगी।
- पी.व्ही.सी. शीट तथा फेब्रिक पर कर की दर **12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत** की जायेगी।
- बेयरिंग पर प्रचलित कर की दर **8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत** की जायेगी।

वाणिज्यिक फसलों को प्रोत्साहन देने तथा सिंचाई सुविधा के विकास के लिए

- तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए **तिलहन** (साल बीज, महुआ बीज तथा नारियल छोड़कर) को **वाणिज्यिक कर से मुक्त** किया जाएगा।
- **5 हार्सपॉवर तक के पंप** पर वाणिज्यिक कर की दर **4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत** की जाएगी।
- स्प्रिंकलर सिस्टम तथा इसके स्पेयर पार्ट्स पर वाणिज्यिक कर की दर **4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत** की जाएगी।

लघु औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए

- **प्रदेश में स्थित किसी भी उद्योग से** कच्चा माल (कोयला तथा लोह अयस्क छोड़कर) क्रय पर **प्रवेश कर से छूट**
- जूट बैग तथा जूट रस्सी पर कर की दर **4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत**
- प्रदेश के बाहर से **आयातित राईस ब्रान पर** 5 प्रतिशत प्रवेश कर
- एल्यूमिनियम इन्गाट, एल्यूमिनियम वायर रॉड तथा कोल्ड रोल्ड एल्यूमिनियम क्वायल का कच्चा माल के रूप में उपयोग करने पर चुकाये गये **कर की पूर्ण मुजराई** तथा **निर्मित वस्तुओं पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर 4 प्रतिशत**

औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए

- स्पंज आयरन पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर **4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत**
- रेलवे तथा विद्युत विभाग में उपयोग में आने वाले लोहा एवं इस्पात की फेब्रिकेटेड वस्तुओं पर कर की दर **8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत**
- एच.डी.पी.ई. बैग के निर्माण प्रक्रिया में उपयोग होने वाले कच्चा माल प्लास्टिक एवं पी. व्ही.सी. ग्रेन्यूल्स पर चुकाए गए **वाणिज्यिक कर की पूर्ण मुजराई**
- भिलाई इस्पात संयंत्र व्दारा राज्य के बाहर से **आयतित फायर ब्रिक्स** पर प्रवेश कर **10 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत** तथा राज्य के बाहर से **आयातित फेरो एलॉयज** पर कर की दर **10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत**

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में राहत

- मरीजों के उपयोग में आने वाली **ऑक्सीजन पर प्रचलित 12 प्रतिशत वाणिज्यिक कर को समाप्त** किया जाएगा।

- उपरोक्त समस्त **राहतों एवं युक्तियुक्तकरण से लगभग 2 करोड़ रुपए की राजस्व क्षति** संभावित है, जिसकी पूर्ति आगे दर्शाए गए अतिरिक्त राजस्व संसाधनों से की जाएगी।

ब्याज की दरों का युक्तियुक्तकरण

विवरण	प्रचलित दर (वार्षिक)	प्रस्तावित दर (वार्षिक)
व्यवसायी द्वारा विलंब से कर जमा करने पर	15%	12%
व्यवसायी की ओर बकाया राशि को किश्त में जमा करने की सुविधा प्रदान करने पर	18%	12%
व्यवसायी द्वारा अधिक जमा कर राशि की वापसी शासन द्वारा प्रदाय करने पर	12%	6%

कर प्रक्रिया का सरलीकरण

- अधिक जमा कर की **वापसी चेक द्वारा प्रदाय** किये जाने की व्यवस्था लागू की जायेगी।
- संक्षिप्त कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए **व्यवसायी द्वारा विवरण पत्रों को प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।**
- अपील एवं निगरानी प्रकरणों के निर्वतन के लिए **एक कैलेण्डर वर्ष की समय सीमा** रखी जायेगी।
- अपील प्रकरणों में प्रकरण **रिमाण्ड किये जाने की व्यवस्था समाप्त** की जायेगी तथा **निगरानी प्रकरणों में केवल एक बार प्रकरण रिमाण्ड** किये जाने की व्यवस्था लागू की जायेगी।
- वाणिज्यिक कर प्रकरणों के निपटारे के लिए **पृथक ट्रिब्यूनल की स्थापना** की जायेगी।
- भूल सुधार आदेश के लिए समयसीमा **आवेदन दिनांक से 3 माह** रखी जायेगी।
- सभी वस्तुओं के उपयोग के हस्तांतरण जिसमें दूरसंचार से संबंधित वस्तुओं जैसे – **टेलीफोन, मोबाईल फोन, सिम कार्ड, रिचार्ज वाउचर, वी.सी.सी कार्ड** शामिल हैं, पर कर मिल सके इसके लिए **सभी वस्तुओं को इसके दायरे में लाया जायेगा** तथा प्रचलित **कर की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत** की जायेगी।
- बाक्साईट का उपयोग निर्माण प्रक्रिया में होने पर प्रचलित प्रवेश कर की दो दरों – राज्य के भीतर से प्रवेश पर 1.5 प्रतिशत तथा राज्य के बाहर से प्रवेश पर 50 प्रतिशत – के स्थान पर एक **समान दर 6 प्रतिशत** रखी जायेगी।
- वर्तमान में केवल भिलाई स्थानीय क्षेत्र में निर्माण हेतु लौह अयस्क तथा कोकिंग कोल का प्रवेश होने पर 6 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगता है जबकि अन्य क्षेत्रों में 1 प्रतिशत। प्रदेश के **सभी स्थानीय क्षेत्रो में निर्माण हेतु लौह अयस्क तथा कोकिंग कोल का प्रवेश होने पर 6 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर** लगेगा।
- **ऐसा कोयला जिस पर वाणिज्यिक कर न लगा हो,** का निर्माण प्रक्रिया में उपयोग हेतु प्रवेश कराने पर **6 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर** लगाया जायेगा।

- उपरोक्त प्रस्तावों से **लगभग 25 करोड़ रुपए वाणिज्यिक कर एवं प्रवेश कर का अतिरिक्त राजस्व** प्राप्त होगा।
- विद्युत उपकर की दर **1 पैसे प्रति यूनिट को बढ़ाकर 5 पैसे प्रति यूनिट** की जाएगी। इससे लगभग **36 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व** संग्रहण होगा।